 Dr. P.K.Yadav

राष्ट्र संघ (The League of Nations)

राष्ट्र संघ का अन्तिम एवं औपचारिक रूप में गठन 10 जनवरी, 1920 को हुआ। प्रथम व्यवहारिक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में राष्ट्रसंघ का है आगमन हुआ। हाँलाकि इसके विकास में वुडरो विल्सन के चौदह सूत्री सिद्धान्त की भूमि निर्णायक थी। यह उल्लेखनीय है कि विल्सन अपने चौदह सूत्री सिद्धान्त के अन्तर्गत सम्पूर्ण विश्व की शांति एवं सुरक्षा के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का सुझाव दिया था। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद विल्सन के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन की सम्बन्धी विचार को अनिवार्य माना जाने लगा। 1919 में पेरिस में शांति सम्मेलन आयोजित की गयी जिसमें राष्ट्रसंघ के प्रारूप को स्वीकार करने पर बल दिया ग

जून 1919 में वर्साय की संधि सफल हुई जिसमें राष्ट्रसंघ के प्रारूप पर मोहर लगा उसी समय राष्ट्रसंघ की प्रसंविदा (26 अनुच्छेद को स्वीकार किया गया।

राष्ट्रसंघ एक अन्तर्राष्ट्रीय संग रहा जिसका गठन 10 जनवरी, 1920 तथा औ रूप में औपचारिक विघटन अप्रैल, 1946 राष्ट्रसंघ के संविधान को प्रसंविदा कहा ज है। जिसमें प्रस्तावना के बाद अनुच्छेद एक से सात तक सदस्यता के नियमों तथा उस अंगो का वर्णन है। अनुच्छेद 8 से तथा विश्वशांति तथा सुरक्षा के लिए निःशस्त्री पर बल देती है। अनुच्छेद 10 से 17 तक अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान से सम्बं है। अनुच्छेद 18 से 21 तक संधि के पंजीकर संशोधन तथा प्रकाशन से सम्बन्धित है।

अनुच्छेद 21 ही मुनरो सिद्धान्त को स्वीकार करता है। अनुच्छेद 22 में संरक्षण पद्धति (mandate system) विषयक प्रावधान है। अनु 23 के अन्तर्गत मजदूरों बच्चों तथा ... विषयक प्रावधान है अनुच्छेद 24 तथा 2... क्रमशः अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सम्बन्धित है प्रसंविदा का अंतिम अनुच्छेद यानि अनु 26 संशोधन से सम्बन्धित है।

राष्ट्रसंघ एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन होकर भी ढीला-ढाला परिसंघ के समान था। जिसके अंगो को सीमित शक्ति प्रदान की गयी थी। राष्ट्रसंघ के गठन में वर्साय की संधि की निर्णायक भूमिका थी और बाद में चलकर उसकी असफलता की भी एक उत्तरदायी तत्व प्रमाणित हुई। राष्ट्रसंघ में कुछ नवीन प्रावधान भी थे इसलिए भी यह कहा जा सकता है कि

राष्ट्रसंघ प्राचीनता और नवीनता का सम्मिश्रण था।

राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्ति की पद्धति सरल होनी चाहिए परन्तु यह कठो थी राष्ट्रसंघ में दो प्रकार के सदस्य थे। जैसे देश जिसके द्वारा वर्साय की संधि के समय हस्ताक्षर की गयी थी तथा दूसरे सदस्य देश जिनको विहित निर्धारित प्रा के तहत सदस्यता प्राप्त होती थी। वर्साय की संधि के समय सदस्य बनने वाले राज्यों को प्रारम्भिक राज्य अथवा प्रारम्भिक सदस्य कहा जाता था बाद के दिनों में जिन राज्यों ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रा की उनको प्रतिष्ठ सदस्य कहा जाता है था। राष्ट्र संघ में प्रवेश करने के लिए उसके महत्त्वपूर्ण अंग सभा के दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति अनिवार्य थी। जब राष्ट्र संघ का गठन हुआ उस समय इसके

प्रारम्भिक सदस्यों की संख्या 42 थी तथा समाप्ति के समय केवल 34 राष्ट्रों के प्रति निधि ही सम्मेलन में भाग लिए। यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रसंघ के सदस्यों की अधिकतम संख्या वर्ष 1935 में 63 थी। अमरीका राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बन पाया था क्योंकि अमरीकी संघीय विधायिका 'कॉग्रेस' के द्वितीय एवं उच्च सदन सीनेट ने राष्ट्रपति के इस का अनुसमर्थन नहीं किया था सोवियत संघ ने 1940 में फिनलैण्ड पर आक्रमण किया था जिसके कारण उसे राष्ट्रसंघ से परिषद के अनुरोध पर निष्कासित कर दिया गया यह उल्लेखनीय है कि सोवियत संघ ने 1933 में जाकर राष्ट्र संघ की सदस्यता प्राप्त की थी कोई सदस्य देश दो वर्ष पूर्व की सूचना पर राष्ट्र संघ की सदस्यता का परित्याग कर सकता था

जर्मनी ने 1926 में राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्राप्त की तथा 1933 में उसने सदस्यता परित्याग की सूचना दे दी राष्ट्रसंघ का प्रधान कार्यालय जेनेवा में स्थित था। वर्ष सितम्बर महीने में राष्ट्रसंघ का वार्षिक अधिवेशन होता था ऐसे विशेष कारणों से विशेष अधिवेशन बुलायी जा सकती।

राष्ट्रसंघ के तीन स्थायी तथा दो अस्थायी यानि 5 अंग थे :

- स्थायी अंग
  - 1. सभा
  - 2. परिषद
  - 3. सचिवालय
- अस्थायी अंग
  - 4. स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय
  - 5. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

राष्ट्रसंघ का प्रमुख एवं महत्वपूर्ण अंग सभा है जिसमें संघ के सभी सदस्यों को सदस्यता प्राप्त होती है। सभा में प्रत्येक

सदस्य राज्य को समानता के सिद्धान्त के अनुसार अधिक से अधिक तीन प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार था परन्तु एक सदस्य राज्य केवल एक ही मत दे सकता है या संघ में कोई भी निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों की सर्व सम्मति से होता था लेकिन अपवाद स्वरूप विशेष विषयों में सर्वसम्मति के सिद्धान्त को अस्वीकार भी की जा सकती यह उल्लेखनीय है कि सभा की प्रथम बैठक नवम्बर 1920 में प्रारम्भ हुई थी तथा अन्तिम बैठक [illegible] 6 से 18 अप्रैल, 1946 तक सम्पन्न हुई थी। सभा राष्ट्र संघ के विचारणीय अंग थी जिसमें समितियों के माध्यम से कार्यसम्पन्न होता था। सभा में समिति के गठन में छोटे-छोटे राज्यों को भी महत्व प्रदान किया जाता था इसके अनेक कार्य जो प्रकृति से निर्वाची, वित्तीय एवं व्यापिक थे

राष्ट्रसंघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग परिषद था जिसे राष्ट्र संघ की कार्यपालिका अंग कहना अधिक सही होगा परिषद की सदस्यता दो प्रकार की थी। स्थायी तथा अस्थायी प्रसंविदा के अनुसार परिषद के स्थायी सदस्य मजबूत थे जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली तथा जापान चार प्रमुख देश थे। पांच स्थायी सदस्यों की बात शुरू में ही कही गयी जिसमें अमरीका भी था परन्तु सीनेट की असहमति के कारण अमरीका तो राष्ट्रसंघ का सदस्य ही नहीं बन पाया। अस्थायी सदस्यों की संख्या में चार निर्धारित की गयी परन्तु वह समय-समय पर बदली रही। 1935 में परिषद की अस्थायी सदस्यों की संख्या 11 हो गयी। यह उल्लेखनीय है कि उस समय ब्रिटेन तथा दो ही स्थायी सदस्य रह गए थे

क्योंकि इटली तथा जापान ने संघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया गया था। 1933 में जब पूर्व सोवियत संघ ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता को प्राप्त की थी तब उसे स्थायी सदस्य बनाया गया था परन्तु 1940 में उसके निष्कासन के बाद पुनः परिषद में दो ही स्थायी सदस्य रह गए परिषद में प्रत्येक सदस्य का एक मत एक होता था तथा सर्वसहमति से निर्णय लेने का प्रावधान था ऐसे प्रक्रिया सम्बन्धी विषयों में बहुमत से निर्णय लिए जाते थे। परिषद बैठक में वैसे सदस्यों को भी उपस्थित होने का अवसर दिया जा सकता था जो राष्ट्रसंघ के सदस्य नहीं भी होते थे परिषद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य विवादों का निपटारा था परिषद विवादों के समाधान में शांतिपूर्ण तथा बलकारी पद्धति को प्रयोग में ला सकती थी।

राष्ट्रसंघ का तीसरा महत्वपूर्ण अंग सचिवालय था जिसका मुख्यालय जैनेवा में स्थापित था सचिवालय का प्रधान महासचिव होता था जिसके अधीन दो उपमहासचिव दो अवर सचिव तथा लगभग 750 अन्य कर्मचारी कार्य करते थे सचिवालय के गण अनुरूप सचिवालय के कार्यों को सम्पन्न करता था तथा वास्तव में यह राष्ट्रसंघ का सबसे कम विवादास्पद अंग था।

राष्ट्रसंघ का न्यायिक अंग स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय था जो अस्थायी अंग था। अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में न्यायिक प्रक्रिया को संचालित किया जाता था। स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधिशों की 11 तथा उपन्यायाधि की संख्या चार थी इनका निर्वाचन 9 वर्ष के लिए किया जाता था। समय-समय पर न्यायाधिशों की संख्या में वृद्धि की जा

जा सकती थी। 1931 में न्यायाधिशों की संख्या 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गयी तथा 1936 में उपन्यायाधिशों के पद को समाप्त कर दिया गया। न्यायालय की कार्य की भाषा फ्रेन्च तथा अंग्रेजी थी तथा इसके कार्य दो अंग ऐच्छिक तथा अनिवार्य में विभाजित है।

राष्ट्रसंघ का एक अस्थायी अंग अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ था जो राष्ट्रसंघ की स्थापना के पूर्व ही 1919 में विश्व के मजदूरों के हित में अस्तित्व में आया था। नाम के अनुरूप अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मजदूरों के हित में सरकारों को सुझाव दिए जाते थे।

राष्ट्रसंघ प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय संगठन था जिसने अन्तर्राष्ट्रीय शांति की दिशा में कार्य किया इसके कार्य प्रशासनिक, राजनीति शांति एवं सुरक्षा, शस्त्रनियन्त्रण तथा कमजोर देशों के कल्याण से अन्य सम्बन्धित था। इस संगठन ने आंशिक सफलता तथा

असफलता को प्राप्त किया। द्वितीय विश्वयुद्ध
की शुरुआत ने ही इस संगठन को असफलता
के रास्ते में धकेल दिया। वस्तुतः इसकी
असफलता के पीछे एक नहीं अनेक कारक
एवं परिस्थितियों को उत्तरदायी बताया जा
सकता है। संरचनात्मक कार्यात्मक, प्रक्रियात्मक
आदि दुर्बलता के कारण राष्ट्रसंघ तो असफ
हुआ ही इसके अतिरिक्त इसका वर्साय
की संधि पर आधारित होना सदस्यता
प्राप्ति की कठोर नियमों का होना, अमरि
का सदस्य न बनना तथा विश्व की समस्
के साथ-साथ सीमित सदस्य संख्या एवं
उनके बीच आपसी तालमेल का अभाव
महत्वपूर्ण है। राष्ट्रसंघ अन्ततः असफल
हुआ लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ को
मजबूत पृष्ठभूमि प्रदान किया तथा
अन्तर्राष्ट्रीय विधि व अन्तर्राष्ट्रीयतावाद के

के प्रति आस्था ही सही विश्व जनमत
को कायम किया है।